22/1/21 वकील वादी उप० नहीं। प्रति.सं. 3 के वकील उप०। वादी व वकील वादी को बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील वादी उप० नहीं। वकील वादी को अन्तिम आवाज साय 5-30 बजे दिलाई गई। वकील वादी उपस्थित नहीं। अतः दावा वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:10:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner